Salient Features of Flag Code of India, 2002



- 1. The Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride and there is universal affection and respect for, and loyalty to, the National Flag. It occupies a unique and special place in the emotions and psyche of the people of India.
- 2. The hoisting/use/display of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002. Some of salient features of the Flag Code of India, 2002 are listed below for the information of the public:
 - a) The Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated 30st December, 2021 and National Flag made of polyester or machine made Flag have been allowed. Now, the National Flag shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk/khadi bunting.
 - b) A member of public, a private organization or an educational institution may hoist/display the National Flag on all days and occasions, ceremonial or otherwise, consistent with the dignity and honour of the National Flag.
 - c) The Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated 20th July, 2022 and clause (xi) of paragraph 2.2 of Part-II of the Flag Code of India was replaced by the following clause:-
 - (xi) "where the Flag is displayed in open or displayed on the house of a member of public, it may be flown day and night;"
 - d) The National Flag shall be rectangular in shape. The Flag can be of any size but the ratio of the length to the height (width) of the Flag shall be 3:2.
 - e) Whenever the National Flag is displayed, it should occupy the position of honour and should be distinctly placed.
 - f) A damaged or dishevelled Flag shall not be displayed.




- g) The Flag should not be flown from a single masthead simultaneously with any other flag or flags.
- h) The Flag should not be flown on any vehicle except of the dignitaries mentioned in Section IX of Part III of the Flag Code, such as President, Vice-President, Prime-Minister, Governors etc.
- i) No other flag or bunting should be placed higher than or above or side by side with the National Flag.

Note:- For further details, the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002 are available on Ministry of Home Affairs' website www.mha.gov.in.

(7)

भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश

- भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर ओर निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।
- 2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण/प्रयोग/संप्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा-निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:-
 - (क) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर के कपड़े से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमित दी गई। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए या मशीन द्वारा निर्मित, सूती/पॉलिएस्टर/ऊनी/सिल्क/खादी के कपड़े से बनाया गया हो।
 - (ख) जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओ या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाये।
 - (ग) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 20 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग-॥ के पैरा 2.2 की धारा (xi) को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया:-
 - (xi) "जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है;"
 - (घ) राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई ओर ऊंचाई (चौडाई) का अनुपात 3 : 2 होगा।
 - (ङ) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।
 - (च) फटा हुआ और मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाये।
 - (छ) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडो के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये।



- (ज) संहिता के भाग-III की धारा-IX में उल्लखित गणमान्यो जैसे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा।
- (झ) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाना चाहिए।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।